


## फर्द अहकाम

मेदाराम मीणा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 181/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.07.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त पत्रावली में शामिल मिसल है। तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि मौके पर जाँच करने पर पाया कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का सही नाम मेदाराम पुत्र पांचूराम है।</p> <p>बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या नया 39, खाता संख्या पुराना 41, खाता संख्या नया 40, खाता संख्या पुराना 40 खाता संख्या नया 47, खाता संख्या पुराना 47 एवं खाता संख्या नया 59, खाता संख्या पुराना 55 के आराजी खसरा नम्बरान् स्थित ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेड़ीगोकुलपुरा, भू.अ. नि.क्षेत्र शिकारपुरा अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर बाबत् हुए गलत इन्द्राजात "मेदाराम पुत्र भौरीलाल, मेदाराम पुत्र भौरीलील" के स्थान पर दुरुस्त कर सही एवं वास्तविक नाम "मेदाराम पुत्र पांचूराम" अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।</p> <p>बहस प्रार्थी, तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को खाता संख्या नया 39, खाता संख्या पुराना 41, खाता संख्या नया 40, खाता संख्या पुराना 40 खाता संख्या नया 47, खाता संख्या पुराना 47 एवं खाता संख्या नया 59, खाता संख्या पुराना 55 के आराजी खसरा नम्बरान् स्थित ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेड़ीगोकुलपुरा, भू.अ. नि.क्षेत्र शिकारपुरा अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में गलत इन्द्राजात "मेदाराम पुत्र भौरीलाल, मेदाराम पुत्र भौरीलील" के स्थान पर दुरुस्त कर सही एवं वास्तविक नाम "मेदाराम पुत्र पांचूराम" किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को सुनाया गया।</p>	

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)

